झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के 69वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जा सकेगा।

(ii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 का संशोधन-

2. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) का संशोधन-

धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) के वर्त्तमान प्रावधान-

" विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना"।

<u>निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो -</u>

" विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पद एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों का झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करना"।

यह विधेयक झारखण्ड प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०, राँची (एल०ए०) 84--50--8-1-2019 ।